अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 140/2013

अपीलार्थी – रंभा देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय सुपौल जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1711/प्रो0 दिनांक 25.11.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में स्थानांतरित होकर दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में आरोप/ शिकायत यह है कि सुपौल परियोजना के राय टोला एवं चायन टोला के मध्य में स्थित केन्द्र संख्या 40 पर केन्द्र संचालन में शिकायत के संबंध में वहाँ की ग्रामीण जनता – अनिल कुमार राय एवं अन्य, जिन्हें वहाँ के मुखिया+पंचायत समीति सदस्य द्वारा अनुशंसित शिकायत पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल को दिया गया, जिनमें निम्न केन्द्र संचालन में निम्न परिवाद शिकायत की गई है :–

i. पोषाहार कार्यान्वयन समीति में अपने संग संबंधियों का चयन कर मनमाने ढ़ंग से कार्य करना

ii. T.H.R. लाभार्थियों को सरकारी माप के अनुरूप राशन नहीं देना

iii. प्रत्येक माह T.H.R. लाभार्थि का नाम बदल कर नये लाभार्थी का नाम जोड़ना

तथा उन्हें T.H.R. देना

iv. केन्द्र पर कम बच्चों की उपस्थित रहना तथा मीनु के अनुसार पोषाहार नहीं देना

v. केन्द्र पर पोषाहार न बनाकर घर में पोषाहार बनाकर लाना

vi. आपके पति द्वारा जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर लागो से 300 से 500 रूपये एवं में शौचालय सवैक्षण में प्रत्येक लाभुक से 10 से 20 रूपये बतौर घूस लेना।

उपर्युक्त अनियमितताऐं के संबंध में बिन्दुवार स्पष्टीकरण देने हेतु कार्यालय पत्रांक 1432 दिनांक 25.9.2013 द्वारा सेविका से स्पष्टीकरण की माँग किया गया तथा उन्हें अपना स्पष्टीकरण 30.09.2013 को समर्पित करने हेतु निर्देश भी दिया गया। दिनांक 30.09.2013 को सेविका ने उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देने हेतु कुछ समय और देने हेतु अनुरोध किया गया उनके अनुरोध पर ही 04.11.2013 को सेविका ने अपना स्पष्टीकरण निर्धारित तिथि को समर्पित किए। अपने स्पष्टीकरण में सेविका ने बताया कि ग्रामीण जनता के द्वारा लागाए गए सभी आारोप बेबुनियाद मनगढ़न्त एवं तथ्यहीन है। शिकायत की जाँच किसी पदाधिकारी द्वारा नहीं की गई, मुखिया एवं पंचायत समीति ने दुश्मनीगत भाव से ग्रसित होकर एवं राजनीति से प्रेरित होकर इस प्रकार के गलत आवेदन को अनुशंसित कर दिया गया है। मेरे द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर लोगों से 300 से 500 रूपये एवं शौचालय सर्वेक्षण के नाम पर लाभुक से 10 से 20 रूपये लेने की बाते भी पूर्णतः गलत है। उसमें सच्चाई नहीं है। सेविका ने अपने स्पष्टीकरण के साथ पोषक क्षेत्र के लाभुक वर्ग के लिखित बयान/ हस्ताक्षरित व निशानयुक्त आवेदन पत्र भी अवलोकन कराया कि जिसमें अंकित है कि केन्द्र संख्या –40 के सेविका के विरूद्ध एक साजिश कर परिवाद पत्र दिए गए है। हमलोगों को सेविका से केन्द्र संचालन में कोई शिकायत नहीं है, सेविका नियमानुसार केन्द्र संचालन करती है।

उपर्युक्त अनियमितताऐं के संबंध में इस न्यायालय में सुनवाई की गई जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता ने अपना – अपना पक्ष साक्ष्य कागजात इस न्यायालय में प्रस्तुत किए। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल का आदेश जो चयन मुक्ति का है पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। यह बिल्कुल गैर न्यायिक आदेश है।

साथ ही पारित आदेश बिना तथ्यात्मक विवेचना किए हुए है, जो दिखता है कि यह रूटिन मैनर में पारित किया आदेश है। उन्होंने ने यह भी बतया कि ग्रामीण गंदी राजनीति के तहत एवं विद्वेष भावना से व्यक्ति विशेष को बहलाकर , फुसलाकर शिकायत कराया गया है, जबकि सेविका ने अपने उपर लगाए गए सारे आरोप को निराधार बताया है,उन्होंने यह भी कहा कि महिला पर्यवेक्षिका के सतही जाँच रिर्पोट का हवाला देकर सेविका को चयन मुक्त आदेश दिया गया है अतः आदेश पक्ष पात पूर्ण आदेश है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि केन्द्र सं0– 40 की सेविका रंभा देवी नियमित रूप से केन्द्र संचालन करती आ रही है, किन्तु दुर्भाग्यवश हाल के दिनों में जिस किराये के मकान में केन्द्र संचालन करती चली आ रही है वह मकान सीता राम राय का था जिसमें उनके लड़के अनिल राय द्वारा मवेशी वांध दिया जाता था जिस वजह से केन्द्र संचालन में व्यवधान होता रहता था सामाजिक आकेक्षण एवं निगरानी समिती एवं महिला पर्यवेक्षिका पिछले जाँच में भी केन्द्र का स्थल परिवर्त्तन की अनुशंशा की गई है, जिसके आलोक में सी0डी0पी0ओ0 सुपौल के पत्रांक 839 दिनांक 16.10.2012 से केन्द्र का संचालन स्थल परिवर्त्तन कर मो0 गुलाब देवी के दरबाजे पर चलाए जाने का आदेश दिया गया जिसे इसे न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी अवगत कराया कि केन्द्र स्थल परिवर्त्तन के कारण आपसी रंजिश से पुराने मकान मालिक सीता राम राय के पुत्र अनील कुमार राय ने कुछ अपने ग्रामीण सहयोगी के मद्द से एवं उन्हें बहला फुसलाकर एक आरोप एवं गलत हस्ताक्षर बनाकर शिकायत पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल को दिया कि सेविका द्वारा केन्द्र संचालन के संबंध में उपरोक्त आरोप है जबकि पोषक क्षेत्र के लाभुकों ने लिखित आवेदन पत्र दिए है कि शिकायत पत्र में उन लोगों का हस्ताक्षर फर्जी है, एवं सेविका को फंसाया जा रहा है। शिकायत पत्र के आलोक में इसकी जाँच महिला पर्यवेक्षिका एवं सी0डी0पी0ओ0 ने भी की अपने जाँच प्रतिवेदन में घटना स्थल पर जाकर जाँच किया, एवं आरोपो को निराधार पाया। लाभुको का बयान लिया किसी ने भी आरोप का समर्थन नहीं किया बल्कि कुछ लोग जो अनिल कुमार राय शिकायत कर्त्ता के समर्थक थे, उन्होंने ने भी बयान दिया कि सेविका को आपसी रंजिश से फंसाया जा रहा है फिर भी सेविका को चयन मुक्त कर दिया जो नैसर्गिक न्याय में विपरित है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सेविका सस्पेंड केन्द्र प्रत्येक कार्य दिवस को संचालन करती आ रही

है, तथा प्रत्येक माह T.H.R. का वितरण सही मात्रा में करती आ रही है, तथा किसी भी लाभुक ने कम मात्रा में कच्चा अनाज देने की शिकायत नहीं की है, इतना ही नहीं महिला पर्यवेक्षिका ने जाँच प्रतिवेदन जो निम्न न्यायालय सुपौल को, दिए गए है, उस प्रतिवेदन में भी सभी लाभुको ने बयान दिए है कि T.H.R. वितरण सही रूप से किया गया है, तथा केन्द्र नियमित रूप से चलता है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि सेविका जन्म प्रमाण पत्र बनाने में रूपये लेती है, वह भी गलत है। चूँकि प्रावधान यह है कि जन्म के 21 दिन के भीतर सूचना मिलने पर सेविका को जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रावधान विभाग से दिया गया है जबकि जितने लाभुको ने यह बयान दिये है कि वे सभी के सभी एक वर्ष से लेकर डेढ़ वर्ष के बच्चें हैं अतः यह आरोप भी गलत,एवं दुर्भावनापूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने ने यह भी आरोप को गलत बताया कि शौचालय सर्वेक्षण में जहाँ तक लाभुक वर्ग से 10 रूपये से लेकर 20 रू लेने का आरोप है, उनमें से अधिकतर परिवार के लोगों ने शपथ पत्र के माध्यम से बयान दिए है कि उनका हस्ताक्षर गलत है, एवं सेविका को फंसाया जा रहा है

उपर्युक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि महज केन्द्र के स्थल परिवर्त्तन लेकर पुराने मकान मालिक के पुत्र श्री अनिल कुमार राय द्वारा बदला की भावना से प्रभावित होकर सरासर झूठ, एवं मनगढ़न्त आरोप लगाकर सेविका के विरूद्ध परिवाद पत्र दायर किया गया है जिसे बगैर तथ्यात्मक विवेचना एवं उचित एवं सही जाँच के बिना निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने चयन मुक्त आदेश दिया गया, जो पूर्णतः खंडित करने योग्य है। ग्रामीण स्तर पर कुछ ऐसे सिर फिरे लोग मिलते है जो यह चाहते है कि सरकार की जो योजनाऐं चल रही है, उनमें मेरा भी दाल गलना चाहिए, मुझे भी कुछ प्राप्त होना चाहिए, न मिलने की स्थिति में वे अनाप–शनाप परिवाद पत्र देकर योजना चलाने वाले व्यक्ति को परेशान करते है, इस प्रकार के परिवाद पत्र पर उचित निर्णय लेने से पहले इसकी तहकीकात जाँच अवश्य होनी चाहिए।

अतः यह न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 1711 दिनांक 25.11.2013 को खंडित करते हुए आदेश निर्गत के तिथि से सेविका के पद पर चयन को बरकरार रखती है, तथा सेविका को चेतावनी भी देती है कि वे दायित्वों का निर्वहन पुरी मुस्तैदी/समर्पित भाव एवं व ईमानदारी से करें अगर वे पुरी मुस्तैदी व ईमानदारी से कार्य करेगी तो इस प्रकार के लोग

कुछ लोग जो तंगतवाह व परेशान करते रहते है भागते फिरेंगे, एवं अच्छा कार्य करने पर समाज में लोग आपकी प्रशंशा करेंगे लेकिन इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति, मुस्तैदी एवं ईमानदारी से कार्य करना होगा।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

27.2.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

27.2.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा